

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

दिनांक:- 14-12-2022

कमांक: वाद / 2022 / 1517

राजस्व आवेदन संख्या 175 / 2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मंगलाराम पुत्र खेराजराम जाति मेघवाल निवासी श्रवण नाडी चीबी तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. दमाराम पुत्र गणेशाराम वगैरा 13 जाति मेघवाल निवासी श्रवणनाडी, चीबी तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-श्रवण नाडी पटवार हल्का-चीबी तहसील गिड़ा जिला-बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 212/154 रकबा 47.03 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा हैं खातेदार को यह अधिकार हैं कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबन्दी करा सकता हैं। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मौके पर कमीशनर शुल्क 500/- जमा करवाकर करें। एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 14/12/2022

कमांक: वाद / 2022 / 1518-1582

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का चीबी को भेजकर लेख हैं कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मंगलाराम पुत्र खेराजराम
4. विप्रार्थीगण दमाराम पुत्र गणेशाराम वगैरा 13
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।



उपखण्ड अधिकारी बायतु

जिला-बाड़मेर